श्री सुरेश यादव एड.

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गुल्लाराम / अमीचन्द 54/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 225 RTAct	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.18	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करें। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः निवेदन किया कि पक्षकारान द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष दिनांक 19/11/2010 को बँटवारानामा प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट मँगवाकर बँटवारे का निर्णय पारित हुआ। सभी पक्षकारान द्वारा उक्त बँटवारे की डिक्री पर अपनी सहमति पेश की गई। जिसके विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अब प्रकरण प्रस्तुत कर प्रार्थी/अपीलार्थी को पाबन्द करवाया गया जो विधि के विरूद्ध है क्युंकी राजीनामा व सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील मेन्टेनेबल नही होती है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी/अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर ही नही दिया गया जो कानून के सुस्थापित सिद्धांत के विपरित है। अतः आदेश जेर अपील की क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावे। हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की इस स्टेज पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से सन्तुष्ट होकर आदेश जेर अपील दिनांक 24/1/2018 की	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गुल्लाराम / हमीचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्त करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय मे नियत आगामी पेशी दिनांक 20/2/2018 को उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण करे। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	